राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0,

सूडा भवन–23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल– 100, शहीद पथ), लखनऊ–226002
website: www.sudaup.org
pmusuda@gmail.com

पत्रांक 3742 / 198 / तीन / 2017–18 दिनॉक 19 अगस्त, 2019

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अभिकरण के पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1637 / 198 / तीन / 2017–18 दिनांक 01.08.2017 द्वारा श्री अनूप बाजपेई, परियोजना अधिकारी, सूडा को अभिकरण का जनसूचना अधिकारी तथा अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत प्रथम अपील हेतु श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक को अभिकरण का प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था।

उक्त कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 579 / 171 / तीन / 2017–18 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा श्री अनूप बाजपेई, परियोजना अधिकारी, सूडा के स्थान पर श्री ए0के0 उपाध्याय, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा को जनसूचना अधिकारी नामित किया गया था।

सम्प्रति श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक, सूडा अन्यत्र विभाग में स्थानान्तरित हो चुके हैं उनके स्थान पर श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी द्वारा वित्त नियंत्रक, सूडा का कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। अतः पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश को यथा–संशोधित करते हुए श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, सूडा को राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), उ0प्र0 एवं समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उ0प्र0 का प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

2. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में नामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से संबंधित विवरण निम्नवत है:–

<u>जनसूचना अधिकारी</u>	<u>प्रथम अपीलीय अधिकारी</u>
श्री ए0के0 उपाध्याय,	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी,
सहायक परियोजना अधिकारी	वित्त नियंत्रक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,	राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
सेक्टर–7 / 23, गोमती नगर विस्तार,	सेक्टर–7 / 23, गोमती नगर विस्तार,
निकट डायल 100, शहीद पथ, लखनऊ।	निकट डायल 100, शहीद पथ, लखनऊ।
दूरभाष– 8573002209	दूरभाष– 0522–2838099

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, आर0टी0आई0भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक / अपर निदेशक / सहायक निदेशक / वित्त नियंत्रक शिविर।
4. अनुसचिव / प्रथम अपीलीय अधिकारी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सम्बन्धित अधिकारी सूडा को अनुपालनार्थ।
6. समस्त जन सूचना अधिकारी / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7. सहायक वेब मास्टर, सूडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विवरण विभागीय वेब साइट एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुनिश्चित वेब साइट फार्मेट पर भी तत्काल अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक